

प्रषक,

निदेशक मत्स्य
उ०प्र०, लखनऊ।

सवा में,

मुख्य विकास अधिकारी/
अधिशारी निदेशक
मत्स्य पालक विकास अभिकरण
महाराजगंज/देवरिया/संतकबीरनगर/
सिद्धार्थनगर एवं सीतापुर।

पत्राक /नि०शा०/

दिनांक: 26/10/2012.

विषय: वित्तीय वर्ष 2012-13 में कैट फिश पालन योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1737/सत्रह-मत्स्य-12-11-1-(7)/2007 दिनांक 14 अगस्त, 2012 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा कैट फिश पालन योजनान्तर्गत निजी क्षेत्र में देशी मांगुर मछली के पालन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्राविधानित धनराशि रू० 5.00 लाख में से पचास प्रतिशत अर्थात् रू० 2.50 लाख (रू० दो लाख पचास हजार) की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके सापेक्ष्य स्तम्भ-8 में अंकित धनराशि आपको आवंटित करते हुए निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आहरित/व्यय करने की अनुमति प्रदान की जाती है। कैट फिश कल्चर योजना के क्रियान्वयन हेतु संशोधित विभागीय दिशा निर्देश भी निदेशालय पत्राक 458/नि०शा०/ दिनांक 11-10-2012 द्वारा पूर्व में प्रसारित किये जा चुके हैं।

वर्ष 2012-13 में कैट फिश पालन हेतु चयनित 5 जनपदों को अनुदान की
धनराशि का बजट आवंटन

क्रमांक	मण्डल का नाम	चयनित जनपद	0.1 हे० जलक्षेत्र को कुल इकाइयों की संख्या	कुल प्रस्तावित जलक्षेत्र	मत्स्य बीज की कुल आवश्यकता (संख्या)	मत्स्य बीज की कुल लागत (रू० 5/- मत्स्य बीज की दर से लाख में)	50 प्रतिशत की दर से देय अनुदान की धनराशि (रू० लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	गोरखपुर	महाराजगंज	05	0.5	20000	1.00	0.50
2	गोरखपुर	देवरिया	05	0.5	20000	1.00	0.50
3	बस्ती	संतकबीरनगर	05	0.5	20000	1.00	0.50
4	बस्ती	सिद्धार्थनगर	05	0.5	20000	1.00	0.50
5	लखनऊ	सीतापुर	05	0.5	20000	1.00	0.50
			25	2.50	100000	5.00	2.50

(रूपया दो लाख पचास हजार)

A. K. Prakash

—2—

26.10.12

1- उक्त स्वीकृति धनराशि लाभार्थियों के चयन के मापदण्डों/दिशा निर्देशों के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत करने के उपरान्त ही आहरित कर व्यय की जायेगी। व्यय उसी कार्य के लिये किया जायेगा, जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

2- योजनान्तर्गत योजना की प्रगति और निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में न तो अधिक धनराशि व्यय की जायेगी और न ही किसी प्रकार का आश्वासन दिया जायेगा। जहाँ पर आवश्यकता हो वहाँ पर सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त की जायेगी। किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर संबंधित सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वयं जिम्मेदार होंगे।

4- प्रदेश में देशी मांगुर मछली की हैचरी न होने के कारण देशी मांगुर मछली का मत्स्य बीज 25 एम0एम0 से 30 एम0एम0 साइज का बरपेटा(असम) अथवा आई0सी0ए0आर0 के संस्थानों से क्रय करके मगाया जायेगा, जिसके लिये चयनित जनपद स्तर पर चयनित लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम का दायित्व होगा।

5- उपरोक्त बजट का अंकन योजनागत बजट रजिस्टर के पृष्ठ संख्या-2 में अंकित है।

उपरोक्त होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 के अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखा शीर्षक 2405- मछली पालन आयोजनागत-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-04- मत्स्य विकास कार्यक्रम-0405 कैट फिश पालन- 27 सब्सिडी के नामें डाला जायेगा।
संलग्नक यथोपरि

भवदीय,

(आत्म प्रकाश बाजपेयी)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
कृते निदेशक मत्स्य उ0प्र0 लखनऊ

संख्या 479 /नि0शा0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख सचिव, मत्स्य विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 3- संबंधित जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 4- उप निदेशक मत्स्य(नियो0), लखनऊ।
- 5- संबंधित सहायक निदेशक मत्स्य/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, उ0प्र0।
- 6- संबंधित उप निदेशक मत्स्य, उ0प्र0।
- 7- संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 8- गार्ड फाइल
- 9- वेब मास्टर मत्स्य निदेशालय।
- 10- योजना से सम्बन्धित पटल सहायक

12/2-11

(आत्म प्रकाश बाजपेयी)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,
कृते निदेशक मत्स्य, उ0प्र0 लखनऊ।